बिहार में प्रान्तीय सरकार के कार्यकलाप (1937–39)

डॉ.रीना
(एम.ए. इतिहास)
अयाची ग्राम, रोड नं0–7 (पश्चिम)
बैरिया, मुजफ्फरपुर

सारांशः

बिहार में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने 20 जुलाई, 1937 को कार्यभार ग्रहण किया एवं 30 अकटूबर, 1939 को त्याग–पत्र सौंप दिया। पद ग्रहण करने के पश्चात् मंत्रिमडल के समक्ष कठिन कार्य व दशकों से लम्बित समस्याएँ थीं जिसको मंत्रिमंडल ने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का विशेष प्रयास किया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्होंने राजनीतिक बन्दियों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, अदम्य साहस, क्षमता व श्रीकृष्ण सिंह सरीखे प्रभावशाली नेतृत्व के बल पर जनता के मनोबल को हमेशा ऊँचा रखा।

श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, प्रेस की स्वतंत्रता, लघु–सिंचाई योजना, मुफ्त एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा योजना, सैन्य प्रशिक्षण हेतु विद्यालय खोलने की योजना, वृहत साक्षरता अभियान योजना, ग्रामीण पुस्तकालय योजना, मलेरिया निवारण योजना आदि की शुरूआत कर प्रान्त में अनेक समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाए गए। अंततः अपने अल्पकालीन कार्यकाल में ही मंत्रिमडल ने प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार कर बिहार प्रांत को प्रगति–पथ पर प्रशस्त किया। इन्हीं उल्लेखनीय तथ्यों का विवेचन व विश्लेषण प्रस्तुत आलेख में किया गया है।

बीज शब्द (Key-words): काश्तकारी व्यवस्था, बिहार टेनेन्सी अमेन्डमेंट ऐक्ट, रैयत, प्रान्तीय स्वायत्तता, द्विसदनात्मक, संसदीय उपसमितिं

आलेखः

बिहार प्रान्त के इतिहास में 1937 से 1939 की अवधि अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बीच 20 जुलाई, 1937 को बिहार के प्रथम कॉंग्रेसी मंत्रिमंडल ने कार्यभार ग्रहण किया जो 30 अक्टूबर, 1939 तक क्रियाशील रहा।

इसी बीच इस मंत्रिमंडल के कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक कार्यो का श्रीगणेश किया गया जो सम्पूर्ण देश के लिए गौरव की बात हुई और इसके कारण स्वतंत्रता संग्राम की गति और तीव्र हो गई फलस्वरूप केवल आठ वर्षों बाद ही 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति भी हो गई।

पद ग्रहण करने के पश्चात बिहार में कॉंग्रेस मंत्रियों ने अपने को पूरी निष्ठा के साथ चुनाव के दौरान किए गए वायदों को निभाने में लगा दिया, इसके लिए सरकारी दफ्तरों से उन्हें पूरा सहयोग मिला। प्रशासनिक दृष्टिकोण से, उन्होंने राजनीतिक बन्दियों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की एवं कुंछ मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में दयालुता दिखलाई अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अनेक बाधाओं के बावजूद कई सुधारात्मक कदम उठाये एवं विभिन्न कार्रवाईयों से रचनात्मक कार्य शुरू किया। कुल मिलाकर 27 राजनैतिक बन्दी, बिहार सेफ्टी ऐक्ट के अन्तर्गत 31 अगस्त, 1937 को बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा पद ग्रहण करने के एक महीने के भीतर रिहा कर दिए गए।[1] 12 मार्च, 1938 तक अनेक बन्दी छोड़ दिए गए। फरवरी 1938 में जो राजनैतिक बन्दी रिहा किए गए उस सम्बन्ध में काफी मतभेद है जो कि अस्थायी रूप से मंत्रिमंडल के त्यागपत्रा का कारण बना। लेकिन पारस्परिक सहयोग के कारण मतभेद समाप्त हो गए और परिणामस्वरूप मंत्रिमंडल सत्ता में पुनः आ गयी। 19 मार्च, 1938 को तीन अन्य बन्दी भी रिहा कर दिए गए जो कि पूर्व में राजनीतिक बन्दी के श्रेणी में नहीं थे।

पिछली सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सभी राजनैतिक साहित्य का अत्यन्त सूक्ष्म परीक्षण के बाद 92 पुस्तकों एवं प्रकाशकों को मुक्त कर दिया गया। सभी संघों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई सरकार ने सबसे पहले इसे जनता एवं उन सरकारी अधिकारियों के बीच स्पष्ट करने का प्रयास किया जो इन राजनैतिक कार्य में संलग्न थे। मन्त्रिमंउल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जिन्हें पदच्युत किया गया अथवा जिन्होंने त्यागपत्र सौंप दिया था उन्हें पुनः वापस लाने के प्रश्न पर सूक्ष्म परीक्षण करना था। यह कार्य मंत्रिमंडल ने 1937–38 में किया।

मंत्रिमंडल ने समान रूप से तीन महत्वपूर्ण समिति का गठन किया जो सरकारी व गैर–सरकारी घटकों को लेकर किया।[2] प्रथम समिति का कार्य था कि वह प्रान्तीय स्तर पर सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार की जाँच करे एवं उसके कारणों की खोज करे साथ ही भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिए उचित सलाह दे। दूसरी समिति संथालपरगना के प्रशासन में जाँच के लिए नियुक्त की गई और साथ ही वहाँ के आदिवासियों के विकास एवं स्तर में सुधार हेतु सुझाव देने को कहा गया। तीसरी समिति विधायिका एवं न्यायपालिका के अलग होने के विषय पर एक व्यावहारिक निर्णय पर विचार के लिए नियुक्त किया गया। इन समितियों की अनुशंसाएँ कुछ मामलों में कार्यान्वित करने की कोशिश की गई। 1806 के बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट 11 के सेक्शन 8 के तहत अफसरों के ट्रांसपोर्ट शक्ति पर जो मुहर लगी थी उसे समाप्त कर दिया गया।[3]

मंत्रिमंडल का एक अन्य उल्लेखनीय कार्य बिहार टेनेन्सी अमेन्डमेंट ऐक्ट था जिसके कारण किसानों को तात्कालिक क्षति से वास्तविक रूप में मदद मिली एवं काश्तकारी व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थीं उसमें उन्हें राहत मिल सका और वे उस क्षति को बर्दाश्त कर सके। किसान सभा ने काश्तकारी सुधारों पर आक्रमण किया जिसे मंत्रिमंडल ने कांग्रेस और जमीन्दारों के बीच समझौता के आधार पर किया था। समझौता मुख्यतः राजेन्द्र बाबू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रयत्न से किया गया था।[4]

बिहार काश्तकारी (संशोधन) कानून (1938) के अन्तर्गत बिहार काश्तकारी कानून की वे धाराएँ निरस्त कर दी गई जिनके अन्तर्गत जमीन्दार से बाकी मालगुजारी की वसूली के लिए सर्टीफिकेट जारी कराने का अधिकार था। इसके अंतर्गत जमीन्दारों की हस्तान्तरण फीस (सलामी) उठा दिया गया और जलकर, फलकर तथा बागानों के संदर्भ में रैयतों के अधिकार निर्धारित कर दिए गए। चम्पारण कृषि संशोधन कानून और छोटानागपुर कृषि संशोधन कानून पारित करके स्थानीय किसानों को राहत पहुँचायी गयी। चम्पारण कृषि संशोधन कानून और छोटानागपुर कृषि संशोधन कानून के अन्तर्गत रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त करने के बदले में किया गया इजाफा समाप्त कर दिया गया।

अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उनकी नीति वह रही कि मंत्रिमंडल ने उन्हे पूरा आश्वासन दिया कि उनके अधिकार एवं रूचि का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस बात को प्रधानमंत्री श्रीकृष्ण सिन्हा के भाषणों में बार–बार दुहराया गया। मुसलमान एवं दूसरे अल्पसंख्यकों की अन्य जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्हें कृषि आयकर से मुक्त कर दिया गया, इसके अतिरिक्त ईसाइयों को धार्मिक दृष्टि से कुछ निषेध के तहत शराब की छूट दी गई।

1937 के चतुर्थांश में, मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक कार्याविधि उल्लेखनीय है, इस समय मुस्लिम लीग के पक्ष में काफी महत्वपूर्ण प्रचार हुआ।[5] मुहम्मद अली जिन्ना ने अक्टूबर 1937 में पटना का दौरा किया और मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम लीग को दृढ़ करने हेतु प्रेरित किया।[6] निर्दलीय को छोड़कर बिहार के अन्य सभी मुस्लिम दल लीग में शामिल हो गए। लीग के समर्थक कांग्रेस मंत्रिमंडल के निराकरण के प्रचार में बड़ी तत्परता से लगे हुए थे। लीग की कार्यशैली व धर्मप्रचार ने मंत्रिमंडल के लिए राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न कर दी जिसने उनके लिए साम्प्रदायिक एकता को बनाए रखने में कठिनाइयाँ हो रही थी। बिहार के सामान्यतः सभी राजनीतिज्ञ इस बात से सहमत थे कि लीग की योजनाओं ने मंत्रिमंडल के लिए काफी समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। लेकिन उनमें से कुछ (लगभग 30 प्रतिशत) राजनीतिज्ञ इस बात से सहमत नहीं थे।

यथार्थ में प्रान्त भी साम्प्रदायिक तनाव से मुक्त नही था और प्रत्येक धार्मिक त्योहार किसी आशंका का संकेत देता था। मंत्रिमण्डल ने इन साम्प्रदायिक तनावों से मुक्ति हेतु अथक प्रयास किए एवं अपना बहुमूल्य समय दिया। फिर भी साम्प्रदायिक प्रदर्शन ने गोड्डा, भुई (पटना में), गया में दिओ, दिओ–औरंगाबाद क्षेत्र में मदनपुर में अपनी जगह बना ली।[7] लेकिन अथक प्रयासों के बलबूते पर मंत्रिमण्डल ने 1937 के अन्त तक साम्प्रदायिक हिंसा को काफी कम कर दिया।

मंत्रिमण्डल ने प्रेस की स्वतंत्रता कायम रहे इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। परिणामस्वरूप प्रेस ने बिना किसी व्यवधान के पूरे कार्यकाल में कार्य किया। किसी अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गई और न ही उनके किसी भी प्रकार की टिप्पणी पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया। हालांकि प्रेस द्वारा सामान्यतः यह मान लिया गया था कि चतुर्थांश में एक प्रवृत्ति चली थी कि प्रेस की स्वतंत्रता का दुरूपयोग किया जाता है। **सर्चालाइट** एवं **इंडियन नेशन** अत्यन्त महत्वपूर्ण दैनिक था। जिसने हमेशा काँग्रेस दल का समर्थन किया। दूसरी ओर यद्यपि **इंडियन नेशन** को विपक्ष का अखबार माना गया तथापि उसने सरकार व उसकी कार्यशैली की आलोचना नहीं की। साप्ताहिक अंग्रेजी अखबारों में राँची से प्रकाशित द **सेन्टीनल एवं** पटना से निकलनेवाली **द बिहार हेराल्ड** ने बिना किसी व्यवधान के कार्य किया। **नवशक्ति** और **योगी** ने हमेशा सरकार के लिए कार्य किया वहीं **जनता,** जो कि सरकार की आलोचक थी, उसने सरकार की भू–नीति की तीव्र आलोचना की एवं विधानसभा के दृष्टिकोण का समर्थन किया। **इत्तेहाद** सरकार खिलाफ थी, वहीं **''द मुस्लिम'** कोंग्रेस की सहयोगी पत्रिका थी। ''**द मुस्लिम''** ने अपना स्वतंत्र अखबार जारी किया ''मुस्लिम–लीग'' के नाम से, जो दो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। प्रेस को प्रान्तीय मसलों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार प्रकट करने की आजादी थी। उसके अतिरिक्त यह देशी व विदेशी मामलों में भी अपने विचार दे सकती थी और इसी कारण मंत्रिमण्डल प्रेस को और अधिक स्वतंत्रता देने में समर्थ हो सकी। प्रेस ने घरेलू मामलों के साथ–साथ संवैधानिक संकट के काल में भी अपने विचार व्यक्त किए। उसने राजनतिक–बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में, बंगाल–बिहार विवाद, छोटानागपुर का बिहार से अलगाव के प्रश्न पर, काश्तकारी अधिनियम, कांग्रेस व जमीन्दारों के बीच समझौता, मद्यनिषेध के प्रश्न पर, विस्तृत साक्षरता अभियान के सम्बन्ध में, सामुदायिक आन्दोलन के पुनर्निर्माण, विद्युत से सम्बन्धित प्रश्न पर, जनता व पुलिस के मध्य सम्बन्ध, भूमि–सम्बन्धी प्रश्न व साम्प्रदायिक स्थिति पर, कांग्रेस–किसान सभा व दूसरे दलों के बीच मतभेद के प्रश्न पर प्रेस ने स्वतंत्रतापूर्वक टिप्पणी दी। राजनैतिक बन्दियों की रिहाई के प्रश्न पर मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र को प्रेस के द्वारा चढ़ाकर दिखलाया गया एवं अधिकांशतः ने मंत्रिमण्डल के इस कार्य का समर्थन किया। दो छोटे अभियोग को छोड़कर मंत्रिमण्डल ने प्रेस ऐक्ट के तहत प्रेस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नही की।[8]

बिहार के वित्तमंत्री श्री **ए.एन.सिन्हा** ने 1937–38 के लिए प्रथम बजट अगस्त 1937 में प्रस्तुत किया।[9] इसने राजस्व में 8,19,000 रूपए का घाटा पूर्वनिर्दिष्ट किया, दरअसल यह 7,96,000 रूपए का अधिशेष था। इस बजट में 5,03,27,000 रूपए की राजस्व वसूली 8,12,000 रूपए के बजट अनुमान से बेहतर था। ये सारी Improvement windful (12,50,000रू0) आयकर स्वीकार–पत्र, जो कि प्रान्त के अन्दर सेक्शन 138 (1), भारत सरकार अधिनियम के तहत निश्चित करने योग्य बनाया गया। जैसा कि, पिछले वर्षों में भू–राजस्व, प्रान्तीय एक्साइज और स्टाम्प प्रान्तीय सम्पदा के मुख्य श्रोत थे। कांग्रेस के कार्यभार संभालने के बाद आय के तीन और श्रोत प्रांतीय कोष में शामिल हो गए।

1. आयकर में हिस्सा (a share of taxes on income),
2. जूट निर्यातड्यूटी में प्रान्त को हिस्सा (an increase in the Share of the jute export duty payable to the province),
3. सुनिश्चित ब्याज प्राप्ति (certain nterfest receipts)

मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रत्यक्ष एवं सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास आय कम और योजनाओं की लम्बी सूची थी। परन्तु उन्होंने इस वित्तीय समस्या का खुलकर सामना किया, वे जनता के कल्याण हेतु दृढ़ संकल्प थे उन्होंने निर्धारित वित्तीय राजस्व में बेहतर करने का प्रयास किया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह सूचित किया कि अब सिवाय इसके कि एक तत्काल योजना बना ली जाए जिससे विभिन्न समस्याओं को दूर किया जा सके।[10] 1938–39 के दौरान बिहार में बजट की स्थिति ने यह उद्घाटित कर दिया कि हालांकि वित्तीय संपन्नता पूरी तरह व्यवस्थित है, एक विकास कार्य को स्थापित करने की योजना को दबाया गया है। कांग्रेस मंत्रिमण्डल कल्याणकारी योजनाओं के लिए व्यय बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम थी।[11] इसके साथ ही आर्थिक और कटोती के प्रश्न पर जब कभी सम्भव हुआ, मंत्रिमण्डल ने राजस्व के नए तरीकों को कल्याणकारी कार्यों हेतु उत्पन्न किया। मंत्रिमण्डलों द्वारा नए कर के उपाय जो 1937–38 में लागू किए गए, उनमें सर्वप्रमुख था, कृषि आयकर अधिनियम (Agricultural Incoe Tax Act) जो कि अत्यन्त लाभकरी सिद्ध हुई।[12]

मंत्रिमण्डल ने द्विस्तरीय बिहार विद्युतीकरण परियोजना को मंजूरी दिया। प्रथम प्रान्त के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित था जबकि दूसरी के अन्तर्गत भू–उत्पादन में वृद्धि तथा लोगों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित था, विशेषकर कृषक वर्गों में इस परियोजना के लिए अनुमानित राशि 3 करोड़ से अधिक तय की गयी। यह सुखद संयोग था कि उस वक्त राजस्व में अच्छी वृद्धि हुई थी।

वर्ष 1938–29 में मंत्रिमण्डल ने निम्नलिखित नयी योजनाओं को प्रस्तुत किया:

1. लघु सिंचाई योजना, 2. मुफ्त एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा योजना, 3. सैन्य प्रशिक्षण विद्यालय, 4. वृहत् साक्षरता अभियान 5. ग्रामीण पुस्तकालय योजना, 6. मधुवन में कुष्ठ निवारण अभियान, 7. पटना में क्षय रोग हेतु सुलभ आरोग्य संस्थान की स्थापना, 8. मलेरिया निवारण योजना, 9. कुनैन की मुफ्त दवा का प्रावधान , 10. काला–जार के कारणों की जाँच, 11. ग्रामीण स्तर पर पीने के पानी की योजना, 12 कृषि एवं उद्योग, 13. जेल के श्रमिकों हेतु औद्योगीकरण योजना।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने न केवल जन–कल्याण हेतु बल्कि प्रान्त के वित्तीय प्रशासन में भी उल्लेखनीय सुधार किए। कांग्रेस की सरकार ने वित्तीय राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए भी सकारात्मक प्रयत्न किए। बिहार के राजनैतिक नेताओं एवं विद्वानों ने भी यह स्वीकार किया कि प्रान्त में कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने वित्तीय सुधार कर महत्वपूर्ण सफलता पाई।

डॉ0 सईद महमूद को शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। मंत्रालय ने प्रान्त में प्राइमरी स्कूलों में बढ़ोतरी के लिए उल्लेखनीय प्रयास किएं इन स्कूलों में भारतीय व यूरोपीय दोनों लड़के–लड़कियों के लिए व्यवस्था की गयी। 1936–37 में विद्यालयों की संख्या 20,700 थी वह 1937–38 में बढ़कर 20,903 हो गयी।[13]

यह उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में सरकार ने पटना में वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में बड़े स्तर पर शिक्षा प्रसार के लिए अभियान चलाना एवं महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना था।

अप्रैल, 1937 के अन्तिम सप्ताह में एक वृहत् स्तर पर सामूहिक साक्षरता अभियान की शुरूआत शिक्षा मंत्री डॉ0 सैय्यद महमूद द्वारा की गयी।[14] जिसका मुख्य उद्देश्य वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना था।

बिहार की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों को बेहतर सुरक्षा देने हेतु वचनबद्ध थीं वह छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे–आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक व सामाजिक सुधार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी जिससे उन्हें बिहार के आम नागरिकों के समकक्ष लाया जा सके।

निष्कर्ष:

यह भी ध्यान देने की बात है कि बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अधिपति, मुख्यतः राज्यपाल, मंत्रालय के विश्वसनीय अधिकारीगण, राज्य के सचिव एवं कांग्रेस के हाई कमान सबों ने मिलकर मंत्रिमण्डल के प्रयासों में अपना सहयोग देकर ब्रिटिश मनोवृत्ति को कुचलने में सहयोग दिया। यद्यपि इसके लिए उनलोगों को अनेक बाधाओं एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ा परन्तु उनकी प्रतिभा, लगन, कर्मठता एवं विश्वास के कारण सारी बाधाएँ दूर हो गयीं। यह भी सत्य है कि उने कार्यकाल की अवधि कम थी और कठिनाइयों का सामना करने के लिए अल्पधिक शक्ति और समय की आवश्यकता थी फिर भी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिकूल–परिस्थिति, समय व शक्ति की अल्पता रहते हुए भी कार्यकाल में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली। लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली, इसका एक प्रमुख कारण था कि द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण परिस्थिति में अपेक्षाकृत बहुत अधिक परिवर्तन, फलस्वरूप बिहार के प्रधानमंत्री श्रीकृष्ण सिन्हा को त्यागपत्र देने की परिस्थिति आ गयी और उन्होंने संसदीय उपसमिति (Parliamentary Sub-Committee) के आदेशानुसार 31 अक्टूबर, 1939 को त्यागपत्र दे भी दिया और इस प्रकार बिहार में लोकप्रिय सरकार का अन्त हो गया जिसका प्रभाव तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर विशेष रूप से पड़ा।

संदर्भः

1. बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास, के.के.दत्त, भाग–2, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1998, पृ0 294
2. कांग्रेस गवर्नमेन्ट इन बिहार ,जी.एस.पी. अम्बष्ठ, क्लासिकल पब्लिसिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1985, पृ0131
3. वही, पृ0 132
4. पटना के जिलाधिकारी का आयुक्त को 26 सितम्बर, 1937 का पत्र।
5. अक्टूबर उत्तरार्द्ध में बिहार में राजनैतिक घटनाओं पर रिपोर्ट(1937)
6. द सर्चलाइट, 23 अक्टूबर, 1937
7. वही, 27 जुलाई, 1937
8. रिपोर्ट ऑफ इवेन्ट्स इन बिहार ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल, 1937
9. रिपोर्ट ऑफ पेालिटिकल इवेन्ट्स इन बिहार ड्यूरिंग द सेकेण्ड हाफ ऑफ अगस्त, 1937
10. वित्त मंत्री श्री ए.एन.सिन्हा द्वारा वजट भाषण का अंश, जो कि बिहार लेजिस्लेटिव एसेम्बली में मार्च 1938 में दिया गया। **(प्रोसिडिंग ऑफ दि बिहार लजिस्लेटिव,** भो. 1, 1938, पृ0 120–122)
11. बिहार इन 1938–39, पृ0 13
12. कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार, श्री एस.पी.अम्बष्ठ, उपरोक्त, पृ0 138
13. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1937–38, पृ0 201
14. रिपोर्ट ऑफ पालिटिकल इवेन्ट्स इन बिहार ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त, 1937

* * * * *